राज्य शासन द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के तत्काल पश्चात् **जस्टिस एन.के.सिंह** जांच आयोग का गठन कर छह माह की समयावधि में प्रतिवेदन चाहा गया था। कार्यकाल बढ़ाये न जाने के फलस्वरूप आयोग स्वतः समाप्त हो गया था।

विषय

3. गैस पीड़ितों के इलाज को कारगर बनाने के साथ-साथ पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर उन्हें ऐसा बनाया जाए, जिससे बहुसंख्यक गैस पीड़ितों को वास्तविक लाभ मिल सके।

समाधान

स्वास्थ्य :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैस पीड़ितों के इलाज प्रबंधन हेतु एक 'मॉनीटरिंग' तथा एक 'एडवायजरी कमेटी' का गठन किया गया है। जस्टिस व्ही.के.अग्रवाल (सेवानिवृत्त) मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तथा डायरेक्टर जनरल, आई.सी.एम.आर, एडवायजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों समितियों द्वारा समय-समय पर बेहतर इलाज की व्यवस्था से संबंधित की गई अनुशंसा का पालन किया जाता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 6 चिकित्सालय, 9 डे केयर सेंटर तथा 9 भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय संचालित हैं। इन समस्त अस्पतालों को कम्प्यूटरीकृत ग्रिड से जोड़कर समस्त प्रभावित परिवारों की रजिस्ट्री तैयार कर दी गई है।

5,74,386 गैस प्रभावित एवं उनके बच्चों को राज्य शासन निःशुल्क औषधि, निःशुल्क जाँचे तथा निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराता है। इस योजना से प्रतिदिन लगभग 4,000 व्यक्ति एवं वार्षिक लगभग 15.00 लाख लाभ लेते हैं। आंतरिक रोगी के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार मरीज लाभ लेते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 80 हजार विशेष जांचें जिसमें सी.टी. स्केन, एन्डोस्कोपी, ईको, स्ट्रेस टेस्ट, पीएफटी, एक्स-रे, सोनोग्राफी तथा नेत्र से संबंधित विशिष्ट जांचे सम्मिलित हैं एवं लगभग 4 लाख पैथालॉजी जांचें भी की जाती हैं ।

राज्य शासन ने विगत **01 नवम्बर 2014 को स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना लागू की है** जिसके अंतर्गत 18 चिन्हित मातृ, शिशु एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की सेवाओं की उपलब्धता की गारंटी गैस राहत विभाग प्रदाय करता है।

निःशुल्क डायलिसिस उपचार :

कमला नेहरू सुपरस्पेशलिटीचिकित्सालय में अत्याधुनिक डायलिसिस इकाई तैयार कर 10 मशीनें स्थापित की गई हैं। इस वर्ष 1656 डायलिसिस कराये गये हैं, इस सुविधा का लाभ चिकित्सालय में आने वाले गैस पीड़ित मरीजों को निःशुल्क प्राप्त हो रहा है।

निःशुल्क कैंसर उपचार :

इसी तारतम्य में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01 जनवरी 2015 से 3,000 चिन्हित कैंसर पीड़ित भाई-बहनों को गैस राहत के 6 बड़े अस्पतालों में समस्त उपचार एवं कीमोथेरपी राज्य के अन्य जिला चिकित्सालयों के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु गैस राहत विभाग के 12 चिकित्सकों एवं 24 नर्सों का विशेष प्रशिक्षण वरिष्ठ चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा बैंगलोर अथवा मुंबई के विशिष्ट केन्द्रों में सम्पन्न कराया जायेगा।

भविष्य की कार्ययोजना :

अत्याधुनिक उपकरण जैसे एम.आर.आई., सी.टी. स्केन, डिजीटल एक्स-रे एवं मेमोग्राफी यंत्र शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही युद्धस्तर पर की जावेगी। रिक्त 117 पदों की भर्ती की गई। वित्त विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त कर वरिष्ठ चिकित्सकों हेतु अतिरिक्त वेतन पैकेज स्वीकृत। सभी रिक्त पदों को भरने का विशेष अभियान प्रारंभ। समस्त मरीजों की कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्री तथा स्वास्थ्य पुस्तिका का निर्माण आगामी तीन माह में पूर्ण किया जावेगा।

आर्थिक विकास हेतु राज्य शासन रु. 75 करोड़ के उद्यमिता विकास कोष तथा रु. 25 करोड़ के कौशल विकास कोष की स्थापना कर व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रभावितों को विश्व बाजार से जोड़ा जावेगा।

विषय

4. कार्बाइड परिसर व सोलर इवापोरेशन साइड पर पड़े 18 हजार मीट्रिक टन से अधिक घातक रसायनों के सुरक्षित निष्पादन के साथ-साथ उससे प्रभावित आबादी व हुई पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की मांग कंपनी व भारत सरकार से की जाए।

समाधान

रासायनिक अपशिष्टों का सुरक्षित निष्पादन :

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2802/2004 में 30 मार्च व 13 मई, 2005 को पारित आदेश अनुसार फैक्ट्री परिसर में पड़े हुए 386 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट को सुरक्षित गोदाम में रखा गया था जिसमें से 40 मीट्रिक टन लाइम स्लज का जून 2008 में TSDF पीथमपुर में सुरक्षित लैण्ड फिल कर दिया गया।

शेष रासायनिक अपशिष्ट 346 मीट्रिक टन का विनिष्टीकरण एस.एल.पी. (सिविल) 9874/12 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 17.04.2014 अनुसार याचिकाकर्ता भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को UCIL परिसर में संग्रहित 10 टन अपशिष्ट का निराकरण करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार ने अपनी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया है। यह निर्णय लिया गया है कि उत्पन्न प्रक्रियात्मक विषमताओं एवं जटिलताओं के कारण लंबित 350 मीट्रिक टन अपशिष्ट के विनिष्टीकरण हेतु विभाग अपेक्षित पहल कर निष्पादन की युद्धस्तरीय कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। न्यायालय एवं निष्पादन हेतु निर्धारित पर्यवेक्षकों के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत कर युद्धस्तर पर शेष रासायनिक अपशिष्ट के निष्पादन की कार्यवाही गतिशील की जायेगी।

स्थल पर अन्य प्रदूषित तत्वों (प्रदूषित मिट्टी लगभग 1.1 मी. टन, मरक्यूरी स्पिलेज लगभग 1.0 मी. टन, कोरोडेड संयंत्र लगभग 1500 मी. टन एवं भूमिगत डम्पस् लगभग 150 मी. टन) के निष्पादन हेतु तय की गई एजेन्सी के माध्यम से निष्पादन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जाकर युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा।

सही उद्देश्य से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है - महात्मा गांधी

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मध्यप्रदेश

3 दिसम्बर, 2014

भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित है। विश्व के इतिहास में ऐसी हृदय विदारक कम घटनाएँ ही हुई हैं परन्तु इस गंभीर चुनौती ने हमें सेवा के नये आयाम परिभाषित करने में सहायता दी तथा तन, मन, धन से राज्य शासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

हम आज त्रासदी की 30वीं बरसी पर सृजन की कामना करते हैं तथा इस प्रक्रिया को सकारात्मक एवं विकासोन्मुखी बनाने का संकल्प लेते हैं। अब इस समस्त प्रक्रिया को विकासोन्मुखी बनाने हेतु रु. 75 करोड़ के उद्यमिता विकास कोष तथा रु. 25 करोड़ के कौशल विकास कोष की स्थापना कर प्रभावित परिवारों के युवकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जावेगा। यह योजना कौशल एवं विकास का सृजन करें, हम ऐसी कामना करते हैं।

1. स्वास्थ्य :

1.1 स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 6 चिकित्सालय, 9 डे-केयर सेंटर तथा 9 भारतीय चिकित्सा पध्दति के चिकित्सालय संचालित हैं। इन समस्त अस्पतालों को कम्प्यूटरीकृत ग्रिड से जोड़कर समस्त प्रभावित परिवारों की रजिस्ट्री तैयार कर दी गई है। अतिशीघ्र समस्त प्रभावितों को स्वास्थ्य पुस्तिका प्रदाय करने का कार्य भी पूर्ण किया जावेगा।

1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैस पीडितों के इलाज प्रबंधन हेतु एक 'मॉनीटरिंग' तथा एक 'एडवायजरी कमेटी' का गठन किया है। जस्टिस व्ही.के. अग्रवाल (सेवानिवृत्त) मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तथा डायरेक्टर जनरल, आईसीएमआर. एडवायजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों समितियों द्वारा समय-समय पर बेहतर इलाज की व्यवस्था से संबंधित की गई अनुशंसा का पालन किया जाता है।

(i) चिकित्सालयों में राशि रुपए 13 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण, विभिन्न विभागों में, विगत 2 वर्षों से स्थापित किये गये हैं, जो क्रियाशील हैं इनका लाभ चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को मिल रहा है।

(ii) **सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण एवं जांचें :**
5,74,386 गैस प्रभावित एवं उनके बच्चों को राज्य शासन निःशुल्क औषधि, निःशुल्क जांचें तथा निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराता है। इस योजना से प्रतिदिन लगभग 4,000 व्यक्ति एवं वार्षिक लगभग 15.00 लाख लाभ लेते हैं। आंतरिक रोगी के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार मरीज लाभ लेते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 80 हजार विशेष जांचें जिसमें सीटी स्केन, एन्डोस्कोपी, इको, स्ट्रेस टेस्ट, पीएफटी, एक्स-रे, सोनोग्राफी तथा नेत्र से संबंधित विशिष्ट जांचें सम्मिलित हैं एवं लगभग 4 लाख पैथालॉजी जांचें भी की जाती हैं।

(iii) राज्य शासन ने विगत 01 नवम्बर 2014 को उपचार में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत 18 चिन्हित मातृ, शिशु एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की सेवाओं की उपलब्धता की गारंटी गैस राहत विभाग प्रदाय करता है।

(iv) **निःशुल्क डायलिसिस उपचार :**
कमला नेहरू सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में अत्याधुनिक डायलिसिस इकाई तैयार कर 10 मशीनें स्थापित की गई हैं। इस वर्ष 1656 डायलिसिस कराये गये हैं, इस सुविधा का लाभ चिकित्सालय में आने वाले गैस पीड़ित मरीजों को निःशुल्क प्राप्त हो रहा है।

(v) **निःशुल्क कैंसर उपचार :** इसी तारतम्य में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01 जनवरी 2015 से 3,000 चिन्हित कैंसर पीड़ित भाई-बहनों को गैस राहत के 6 बड़े अस्पतालों में समस्त उपचार एवं कीमोथेरपी राज्य के अन्य जिला चिकित्सालयों के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु गैस राहत विभाग के 12 चिकित्सकों एवं 24 नर्सों का विशेष प्रशिक्षण वरिष्ठ चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा बैंगलोर अथवा मुंबई के विशिष्ठ केन्द्रों में सम्पन्न कराया जायेगा।

(vi) मानव संसाधनों की पूर्ति विभाग में कुल 174 चिकित्सक जिसमें से 64 वरिष्ठ चिकित्सक एवं 90 नियमित चिकित्सक तथा 20 पार्ट टाईम चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 850 तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं।

(vii) विभाग द्वारा अब तक 117 चिकित्सकों के पदों पर 'वॉक-इन-इंटरव्यू' के माध्यम से भर्ती की गई है। वित्त विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त कर वरिष्ठ चिकित्सकों के अतिरिक्त वेतन पैकेज स्वीकृत कराये गये। सभी रिक्त पदों को भरने का विशेष अभियान प्रारंभ किया जावेगा।

(vi) समस्त मरीजों की कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्री तथा स्वास्थ्य पुस्तिका का निर्माण आगामी तीन माह में पूर्ण किया जावेगा।

(vi) अत्याधुनिक उपकरण जैसे एम.आर.आई., सी.टी. स्केन, डिजीटल एक्स-रे एवं मेमोग्राफी यंत्र का शीघ्र उपार्जन कर उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

1.3 यूनियन कार्बाइड परिसर के निकट 22 बस्तियों के समस्त रहवासियों को (10, 124 परिवार) को शुद्ध पेयजल पाईप लाईन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

1.4 4,837 गैस पीड़ित वृद्धावस्था एवं निराश्रित माताओं को रुपये 1000/- प्रतिमाह की पेंशन उनके बैंक खातों के माध्यम से सीधे प्रदान की जा रही है।

2. मुआवजा :

2.1 भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन (सिविल) क्र. 345-347 वर्ष 2010 में यूनियन ऑफ इंडियन विरुद्ध यूनियन कार्बाइड, प्रस्तुत की गई है।

2.2 सामाजिक संगठनों एवं प्रभावित परिवारों की भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ इस याचिका में रुपये 675.96 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि की माँग प्रस्तुत की है। राज्य शासन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मध्यप्रदेश के नागरिकों की भावना से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

2.3 5,74,386 गैस प्रभावितों को इस त्रासदी के उपरांत रुपये 3,480 करोड़ की सहायता राशि मुआवजा स्वरूप दी जा चुकी है।

2.4 भोपाल गैस लीक डिजास्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम) एक्ट, 1985 के तहत समस्त अधिकार भारत सरकार के पास है।

3. रासायनिक अपशिष्टों का सुरक्षित निष्पादन :

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2802/2004 में 30 मार्च व 13 मई, 2005 को पारित ओदश अनुसार फैक्ट्री परिसर में पड़े हुए 386 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट को सुरक्षित गोदाम में रखा गया था। इसमें से 40 मीट्रिक टन लाइम स्लज का जून 2008 में TSDF पीथमपुर में सुरक्षित लैण्ड फिल कर दिया गया।

शेष रासायनिक अपशिष्ट 346 मीट्रिक टन का विनिष्टीकरण एस.एल.पी. (सिविल) 9874/12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 17.04.2014 अनुसार याचिकाकर्ता भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को UCIL परिसर में संग्रहित 10 टन अपशिष्ट का निराकरण करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार ने अपनी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन हेतु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया है।

यह निर्णय लिया गया है कि उत्पन्न प्रक्रियात्मक विषमताओं एवं जटिलताओं के कारण शेष 350 मीट्रिक टन अपशिष्ट को विभाग अपेक्षित पहल कर निष्पादन की युद्धस्तरीय कार्यवाही प्रारंभ करेगा। न्यायालय एवं निष्पादन हेतु निर्धारित पर्यवेक्षकों के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत कर युद्धस्तर शेष रासायनिक अपशिष्ट के निष्पादन की कार्यवाही गतिशील की जाएगी।

स्थल पर अन्य प्रदूषित तत्वों (प्रदूषित मिट्टी लगभग 1.1 मी.टन, मरक्यूरी स्पिलेज लगभग 1.0 मी.टन, कोरोडेड संयंत्र लगभग 1500 मी.टन एवं भूमिगत डम्पस् लगभग 150 मी.टन) के निष्पादन हेतु तय की गई एजेन्सी के माध्यम से निष्पादन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जाकर युद्धस्तर पर क्रियान्वयन किया जायेगा।

पर्यावरण संबंधित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन होगा। विदेशी न्यायालयों में भारत सरकार ही पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समक्ष है।

4. आर्थिक विकास उद्यमिता एवं कौशल विकास कोष की स्थापना : सृजन योजना

4.1 राज्य शासन प्रभावित परिवारों के मुद्दों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को संकल्पित है। उद्यमिता विकास कोष हेतु रु. 75 करोड़ की तथा कौशल विकास एवं निश्चित रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु रु. 25 करोड़ की कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। गैस प्रभावित परिवारों के 4,700 युवकों को रोजगारमूलक कार्यों में स्थापित किया गया है।

4.2 लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा पारंपरिक शिल्प कलाओं तथा उद्यमों में लगे कलाकारों के उत्पादों को व्यावसायिक प्रक्रिया से जोड़कर वेबसाइट के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें प्रोत्साहित किया जावेगा। इस हेतु रु. 75 करोड़ का विकास कोष स्थापित किया जावेगा।

4.3 कौशल विकास योजनाओं के अधीन 25,000 और युवकों को प्रशिक्षित कर प्रभावी रोज़गार में स्थापित किया जायेगा। इस कार्य हेतु रु. 25 करोड़ का कौशल विकास कोष स्थापित किया जावेगा।

गैस प्रभावितों से प्राप्त विषय एवं समाधान

विषय

1. न्यायोचित मुआवजे के लिये सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में राज्य सरकार उपलब्ध नए तथ्यों को लेकर हस्तक्षेपकर्ता बने।

समाधान

भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन (सिविल) क्र. 345-347 वर्ष 2010 में यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध यूनियन कार्बाइड प्रस्तुत की गई है।

सामाजिक संगठनों एवं प्रभावित परिवारों की भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रुपये 675 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि की माँग प्रस्तुत की है। राज्य शासन पूर्ण प्रतिबध्दता के साथ मध्यप्रदेश के नागरिकों की भावना के अनुरूप कार्य करेगा।

अब तक 5,74,386 गैस प्रभावितों को इस त्रासदी के उपरांत रुपये 3,840 करोड़ की सहायता राशि मुआवजा स्वरूप दी गई है।

भोपाल गैस लीक डिजास्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम) एक्ट, 1985 के तहत समस्त अधिकार भारत सरकार के पास हैं।

विषय

2. राज्य अपने किए गए वायदे अनुसार एंडरसन सहित सभी दोषी अधिकारियों सजा के लिए विशेष न्यायालय गठित करें।

समाधान

राज्य शासन द्वारा **जस्टिस एस.एल. कोचर** की अध्यक्षता में एक को सदस्यीय- यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग का गठन 25.08.2010 को किया गया है। गैस त्रासदी के पश्चात् वारेन एण्डरसन एवं अन्य के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा पृथक न्यायालय में सजा से संबंधित प्रकरण प्रचलित है। अतः राज्य शासन की ओर से इस मुद्दे पर पृथक से विशेष न्यायालय गठित करने का औचित्य नहीं है।